

मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना-800002

E-Mail-cewrdanisabadpatna@gmail.com मो 0 नं-7463889513

पत्रांक-2/मु0अ0-03-13/2026

पटना/दिनांक-

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम,
मुख्य अभियन्ता।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
सासाराम, रोहतास-821113

विषय :-

Construction of 4 laning Greenfield corridor from Suara (Sasaram) at Ch. 0+000 to Garhani (at SH-12) at Ch. 74+432, Package-I of Patna-Arrah-Sasaram corridor of NH-119A in the State of Bihar on HAM Mode. हेतु द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपाक पत्रांक- NHAI/PIU-Sasaram/NH-119A/2026/14068 दिनांक-27.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में परिक्षेत्राधीन भोजपुर जिलान्तर्गत बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अधीन Construction of 4 laning Greenfield corridor from Suara (Sasaram) at Ch. 0+000 to Garhani (at SH-12) at Ch. 74+432, Package-I of Patna-Arrah-Sasaram corridor of NH-119A in the State of Bihar on HAM Mode. कार्य हेतु द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

जलीय आँकड़े :-

1	नदी का रूपांकित जलश्राव	47675 क्यूसेक
2	बेड लेवल	56.48 मी0
3	HFL	59.40 मी0
4	NSL	R/S-63.69M & C/S-64.08M
5	Lacey's silt Factor	0.44
6	अक्षांश/देशांतर	25.4015630/84.5681470

शर्त :-

1. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों को पूर्णतः पालन किया जाय।
2. पुल निर्माण कार्य, सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ कराया जाय।
3. प्रस्तावित पुल के Pier को जल प्रवाह के along रखा जाय।
4. सभी Pile के Well का Top नदी के Average bed level से नीचे रखा जाय।
5. नदी के क्रॉसिंग बिन्दुओं पर Danger Post लगाया जाय, जिससे ध्यान आकृष्ट हो सके। पुल के Up stream एवं Down stream में Afflux बाँध एवं Guide बाँध का निर्माण सुरक्षात्मक कार्य के साथ करना आवश्यक होगा।
6. पुल निर्माण के दौरान धारा/बहाव को अवरुद्ध नहीं किया जाय।
7. प्रस्तावित पुल निर्माण के पश्चात् इसके मरम्मत एवं संपोषण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

8. नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भाग से मिट्टी नहीं काटी जाएगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।
 9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नदी का बाँया एवं दाँया किनारा एवं संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही होगी।
 10. नदी के जल प्रवाह को बिल्कुल Clear रखा जाएगा एवं बाढ़ अवधि में कार्य कराने की अनुमति नहीं होगी।
 11. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखा जाएगा।
 12. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अवशेष सभी सामग्रियों को पूर्णतः हटा लिया जाएगा।
 13. पुल निर्माण के किसी प्रकार की दुर्घटना की पूरी जवाबदेही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही होगी।
 14. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
 15. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना आवश्यक होगा।
 16. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 17. कार्य के दौरान नदी/किनारों/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होगी।
 18. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
 19. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल जल संसाधन विभाग के तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
 20. विभागीय पत्रांक-608 दिनांक-05.08.2024 की कंडिका-7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
 21. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
- अनु०:-यथावत्।

विश्वासभाजन

६०/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

६०/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:-

3838

पटना/दिनांक:-30/09/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(एजाज कलीम)

मुख्य अभियन्ता

30/09/26